न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 10/2013 (2013/00192)

1. प्रेम देवी पत्नि रामनारायण उम्र 35 वर्ष
2. भैरूलाल पुत्र रामनारायण उम्र 27 वर्ष
3. काली पुत्री रामनारायण उम्र 14 वर्ष ना.बा.जरिये माता प्रेम देवी
4. सूरजमल पुत्र नन्दा उम्र 55 वर्ष
5. बाली देवी पत्नि लाला उम्र 42 वर्ष
6. आशा पुत्री लाला
7. खुशीराम पुत्र लाला
8. रेखा पुत्री लाला ना.बा.जरिये संरक्षक

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1- दुर्गालाल पुत्र लालू उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर
2- ऐजन बेवा भंवरलाल उम्र 47 वर्ष जाति गुर्जर
3- ललित उर्फ मन्नालाल पुत्र भंवरलाल उम्र 32 वर्ष जाति गुर्जर
4- रामपाल पुत्र भंवरलाल उम्र 29 वर्ष जाति गुजर
5- धापू बेंवा श्रीराम उम्र 72 वर्ष जाति गुजर
6- हीरा पत्नि दुर्गालाल उम्र 50 वर्ष जाति गुजर
7- लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति माली उम्र 45 वर्ष
तमाम निवासी घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर
8- हीरा पत्नि दुर्गालाल जाति मीणा निवासी रायनगर (घटियाली)तह.सावर जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: आदेश ::—

दिनांक 14.10.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प घटियाली केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घटियाली की जमाबन्दी संवत 2061–64 के खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.42 है. किस्म बारानी उत्तम में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है.,खसरा नम्बर 2816 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 2815 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 2814 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 2813 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2781 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.24 है.में से आने जाने हेतु रास्ता दिलाया जावें। प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

अप्रार्थीगण की और से 1 लगायत 6 तथा 8 की ओर से श्री अर्जुनसिंह शक्तावत एडवोकेट ने वकालतनामा एंव जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया अस्पष्ट गलत व मनगढत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.42 है.में से नया रास्ता खुलवाना चाहते है। उस खसरा नम्बर में से होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है, इस सबंध में एक दीवानी वाद न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.) केकडी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 95/2011 में उनवान प्रेमदेवी वगै. बनाम दुर्गालाल वगै. पेश किया था।यह प्रार्थना पत्र दिनांक 20.7.2012 को खारिज कर दिया गया था। प्रार्थीगण ने न्यायालय को भ्रमित करने के उद्वेश्य से व अप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने की गरज से व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से नया रास्ता निकालने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में आने जाने के लिये पूर्व में ही रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते का [illegible] व उपभोग प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु अब तक करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टण्डाई नहीं है क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये पहले से ही रास्ता उपलब्ध है।

प्रकरण में तहसीलदार सावर से रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का घटियाली व गिरदावर हल्का घटियाली को मोके पर भेजकर करवायी गयी , जो संलग्न पत्रावली है। जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2787 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2813 , 2814, 2815, 2816, 2787, 2782, 2783 का मौका देखा गया । रास्ता संलग्न नक्शा अनुसार दिया जाना उचित बताया है। प्रस्तावित राजस्व मानचित्र अनुसार रास्ते के उपयोग आने वाले क्षैत्रफल की गणना निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	नाम ग्राम	ख.न.	कुल रकबा(है.)	प्रस्तावित रास्ते उपयोग में आने वाला रकबा	विशेष विवरण राशि की गणना
1	घटियाली	2814	0.22	68x2=136 व.मी.	375705 / 10000x 136=5110 /-
2.		2815	0.07	28x2=56 व.मी.	375705 / 10000x 56=2104 /-
3.		2816	0.08	18x2=36 व.मी. 12x2=24 व.मी. कुल 60 व.मी.	375705 / 10000x 60=2254 /-
4.		2817	0.22	56x2=112 व.मी.	375705 / 10000x 112=4208 /-
5.		2781	0.47	56x2= 112 व.मी. 12x2=24 व.मी. कुल 136 व.मी.	375705 / 10000x 136=5110 /-
6.		2782	0.02	16x2=32व.मी.	375705 / 10000x 32 =1202 /-
7.		2783	0.24	100x2=200 व.मी.	375705 / 10000x 200=7514 /-

राजस्व रिकॉर्ड का मौके का अवलोकन पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये कोई वैकल्पिक छोटा मार्ग नहीं पाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत के खसर नम्बर 2787 रकबा 0.42 में आने जाने हेतु तहसीलदार सावर द्वारा उपरोक्त सारणी में सुझाये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई छोटा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा दीवानी वाद न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.) केकडी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र स. 95/2011 में उनवान प्रेमदेवी वगै. बनाम दुर्गालाल वगै. पेश किया था।यह प्रार्थना पत्र दिनांक 20.7.2012 को खारिज कर दिया गया था का प्रभाव इस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए पर नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना जवाब प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना सारहीन पायी जो से खारिज की जाती है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता दिलाये जाने स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता हैं। उक्त सारणी में डी.एल.सी. राशि की दुगनी राशि प्रतिकर के रूप में अप्रार्थीगण खातेदारों को प्रार्थीगण से प्राप्त कर भुगतान करने की कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावें। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ते का इन्द्राज गै.मु. सार्वजनिक रास्ता का इन्द्राज किया जावें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल घटियाली में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली) 14/10/2021
उपखण्ड अधिकारी
एवं शिविर प्रभारी, केकड़ी.

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner